न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या– 04/2024
जी.सी.एम.एस– 2024/09

अपीलार्थीगण:–

1. शक्ति सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
2. गायड़ सिंह पुत्र गजेसिंह
3. हरीपाल सिंह पुत्र अनोपसिंह
4. गणपतसिंह पुत्र अनोपसिंह
5. राजेन्द्रसिंह पुत्र अनोपसिंह
6. सुरेन्द्रसिंह पुत्र अनोपसिंह
7. गंगाकंवर पत्नि अनोपसिंह
8. राकु कंवर पत्नि मोहनसिंह
9. सवाई सिंह पुत्र मोहनसिंह सभी जाति राजपूत निवासीगण ग्राम राजेन्द्रनगर (गजेसिंह नगर) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:–

1. नरपतसिंह पुत्र बलवन्त सिंह
2. कल्याणसिंह पुत्र गुमान सिह
3. स्वरूपसिंह पुत्र गुमानसिंह
4. लखसिंह पुत्र मोहनसिंह
5. गोपालसिंह पुत्र मोहनसिंह
6. जसवन्तसिंह पुत्र मोहनसिंह
7. दलपतसिंह पुत्र हणवन्त सिंह
8. जबरसिंह पुत्र हणवन्तसिंह
9. चैनसिंह पुत्र गजेसिंह
10. खम्मा कंवर पत्नि गजेसिंह
11. भोमू कंवर पत्नि गजेसिंह
12. विमला कंवर पुत्र मोहनसिंह
13. भैरूसिंह पुत्र बलवन्तसिंह सभी जाति राजपूत निवासीगण ग्राम राजेन्द्रनगर (गजेसिंह नगर) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।
14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:25 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बविरुद्ध समर्पण आदेश क्रमांक–480, दिनांक 21.06.2018 जो तहसीलदार, (भू–अभिलेख) शेरगढ़ द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2018 में स्वीकार किया गया।

उपस्थितिः–
1. अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह बावरला (अपीलार्थी पक्ष की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री जेठाराम सैन (प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से)

आदेश दिनांक 29.11.2024

अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व समर्पण आदेश क्रमांक 480 दिनांक 21.06.2018 जो तहसीलदार (भू.अ.) शेरगढ़ द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में स्वीकार किया गया, को निरस्त करवाने हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की कब्जा सुदा जमीन ग्राम राजेन्द्रनगर पटवार क्षेत्र भूंगरा तहसील शेरगढ़ में स्थित खसरा नं 514 रकबा 40 बीघा 10 बिस्वा जमीन स्थित है जिस पर अपीलान्ट एंव रेस्पोडेन्टगण की रहवासीय मकान, पानी के टांके, चारा के लिए बाड़े आदि बने हुए है सभी मकानों में विद्युत कनेक्शन लिए हुए है तथा मय परिवार निवास करते है। दिनांक 13.06.2018 को लिखित भूमि समर्पणनामा जिसका स्टाम्प दिनांक 08.05.2018 को स्टाम्प वेंडर शेरगढ़ से पर्वतसिंह पुत्र मोहनसिंह के नाम से जारी किया गया। सहखातेदार अणच कंवर पत्नि बलवन्त सिंह का देहान्त दिनांक 10.08.2013 को हो चुका है, अनोपसिंह पुत्र गजेसिंह का देहान्त दिनांक 18.01.2017 को हो चुका, मृत्यु हो जाने के बाद भी इन व्यक्तियों के फर्जी हस्ताक्षर दिनांक 13.06.2018 को किसी अजनबी ने किये है। इसके अलावा उक्त अपीलान्ट गायड़ सिंह भारतीय नौसेना से कमाण्डर अधिकारी से सेवानिवृत है तथा सेवानिवृति के बाद अहमदाबाद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:25 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

ही निवास रहा है तथा शक्तिसिंह अपीलान्ट सेवानिवृत अधिकारी रहे है जो आमतौर पर जोधपुर में ही निवास करते आ रहे है। इस प्रकार खसरा नं 514 की भूमि में से 0.11 बीघा का कूटरचित समर्पण पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी व्यक्ति के द्वारा स्टाम्प लेकर समर्पण नामा निष्पादित किया गया है। तथाकथित समर्पण नामे के आधार पर दिनांक 18 [illegible] को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुए। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रेकर्ड तलब किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय से जरिये पत्रांक / राजस्व / 2022 / 1773 दिनांक 07.12.2022 मूल रेकर्ड प्राप्त हुआ। प्रकरण में अपीलार्थी पक्ष अधिवक्ता की बहस दिनांक 05.11.2024 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 29.11.2024 को रखी गई।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के हस्ताक्षर फर्जी कर किये गये है।कानून की परिधी में मृत व्यक्ति के अंगुठे / हस्ताक्षर नहीं किये जा सकते है। अपीलान्ट शक्तिसिंह एवं गायड़सिंह सेवानिवृत के बाद जोधपुर एवं अहमदाबाद में ही निवास थे, मई जून माह 2018 को अपीलान्टगण अपने गांव में नहीं थे उनके भी फर्जी हस्ताक्षर किये गये जो वास्तविक हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते है न ही अपीलान्टगण को रास्ते की आवश्यकता है। अनोपसिंह का देहान्त 2018 से पूर्व में ही हो चुका था जिसके वारीस अपीलान्टगण है इसलिए उक्त मृत व्यक्ति के भी फर्जी हस्ताक्षर किये गये है न ही अनोपसिंह के वारीस अपीलान्टगण न्याय आपके द्वार मुख्यालय पर उपस्थित हुए, इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश काबिले निरस्त है तथाकथित समर्पण पत्र. का स्टाम्प दिनांक 08.05.2018 को परबतसिंह वगैरह पुत्र मोहनसिंह वगैरह के नाम जारी है इस नाम का खसरा नम्बर 514 में कोई भी सहखातेदार [illegible] के अभाव में लिया गया पुरानी तारीख का शून्य दस्तावेज है सहखातेदारान के द्वारा उक्त स्टाम्प नहीं लिया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:25 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

इसलिए लिखा गया समर्पण पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर मृत व्यक्तियों के अंगुष्ठ तथा शेष अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के भी फर्जी हस्ताक्षर किये है तथा इनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत गजेसिंह नगर के द्वारा फर्जी की गई है। शिविर दिनांक 21.06.2018 को कोई भी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट मौके पर नहीं थे, न ही तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुए न ही अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट को रास्ते की आवश्यकता थी, इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश खारिज किया जावे। अपीलान्ट जसवंत सिंह वर्ष 2018 में विदेश में निवास था तथा अपीलान्टगण के सभी फर्जी हस्ताक्षर किये गये है, रेस्पोडेन्ट भी राजकीय सेवा में थे इसलिए कानून के अन्तर्गत तथाकथित समर्पणनाम बिल्कुल फर्जी है। इस तरह उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दिनांक 13.06.2018 का तैयार किया गया समर्पण पत्र बिल्कुल फर्जी, बनावटी, कूटरचित हस्ताक्षर कर, मृत व्यक्त्यिों के हस्ताक्षर कर तैयार किया गया है जो जाहिर तौर पर [illegible] अवैध एवं शून्य है होने से अपीलीधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपीलार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम की बतलाया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2018 के बाबत् अपीलांट को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी न ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नोटिस जारी किया गया न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अपीलांटन वर्तमान में ई.सी.एच.एस. प्रभारी अधिकारी शेरगढ़ लगने के बाद उक्त जमीन के दस्तावेज प्राप्त करने के बाद प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 25.01.2021 को मिलने पर जानकारी हुई। इससे पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। अतः जानकारी से उक्त अपील अन्दर म्याद पेश कर प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किये जाने की जाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 4 एवं 07 से 13 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी द्वारा पेश अपील एवं प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम का जवाब [illegible] बतलाया कि राजस्व शिविर गजेसिंह नगर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 13 खसरा नं 5 [illegible] ग्राम राजेन्द्रनगर बाबत् कभी उपस्थित होकर हस्ताक्षर, अगुष्ठ नहीं किये, न ही रेस्पोडेन्ट [illegible] तथाकथित स्टाम्प पेपर खरीद

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:25 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

किया न ही तथाकथित स्टाम्प पेपर पर समर्पण नामा दिनांक 13.06.2018 को लिखा गया न ही हम सभी रेस्पोडेन्ट ने अपनी किसी प्रकार की कोई सहमति समर्पणनामा पर नहीं दी। इनमें से तत्कालीन खातेदारी अणचकंवर का देहान्त सन् 2013 में, खातेदार अनोप सिंह का देहान्त 2017 में हो चुका, जून 2018 में उपरोक्त इस संसार में ही न थे तो किन व्यक्तियों ने कूटरचित हस्ताक्षर फर्जी किये है इसकी भी जॉच की जानी चाहिए। मृत व्यक्ति किसी भी आधार पर अभियान में जीवित नहीं हो सकता है। कुछ सहखातेदार जून 2018 में विदेश में निवास थे इसलिए विदेश जाने के बाद आमतौर पर आसानी से वापिस भारत में आना सम्भव नहीं है, वीजा प्राप्त होने के बाद ही ऐसा सम्भव होता है लेकिन उक्त प्रकरण में उक्त दोनो व्यक्ति यहां पर नहीं थे, ऐसी स्थिति में उनके हस्ताक्षर भी कूटरचित है। यह बात सही है कि अपीलांट शक्तिसिंह एवं गायड़ सिंह का सेवानिवृत के बाद जोधपुर एंव अहमदाबाद में निवास था तथा किसी पारिवारिक समारोह के अलावा आमतौर पर ग्राम भूंगरा राजेन्द्रनगर में निवास नहीं था न ही दिनांक 21.06.2018 ये इससे पहले ग्राम में मौजूद थे इसलिए फर्जी हस्ताक्षर है। स्टाम्प दिनांक 08.05.2018 को परबतसिंह वगैराह पुत्र मोहन सिंह वगैरह के नाम का खरीदा उठाया गया है। खसरा नं 514 का उपरोक्त में से कोई खातेदार नहीं है। सर्मपण नामा कानून की परिभाषा में जिसके नाम की खातेदारी की भूमि होती है उसी के नाम के व्यक्ति का स्टाम्प जारी किया जाता है, इससे स्पष्ट है कि तथाकथित समर्पणनामा बिल्कुल फर्जी है बनावटी है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के हितो के विपरित है जो सम्पूर्ण निरस्त किये जाने योग्य है तथा सम्पूर्ण प्रकरण की विधिक जॉच की जानी भी आवश्यक है। जमीन से संबंधित मामला है इसलिए जॉच की जानी चाहिए। तथाकथित समर्पणनामा फर्जी दस्तावेज है कानून की परिभाषा में यह विधिक दस्तावेज नहीं है कोई भी व्यक्ति अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट शिविर के दरमियान उपस्थित नहीं हुए इसलिए अपीलांट को एवं रेस्पोडेन्ट तथ्यों की जानकारी होने का प्रश्न ही नहीं है तथा कानूनी तथ्यों के आधार पर अपीलांट अपील एंव म्याद का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:25 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 5, 6 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम का जवाब पेश कर कई सहखातेदार की कई वर्ष पूर्व मृत्यु होने के बाद भी फर्जी हस्ताक्षर किये है। खसरा न. 514 के किसी भी खातेदार ने समर्पणनामे पर नये रास्ते बाबत कोई हस्ताक्षर नहीं किये जिस बाबत एक मुकदमा पुलिस थाना शेरगढ़ में तत्कालीन सरपंच गजेसिंहनगर व पटवारी के विरूद्ध चल रहा है। रेस्पोडेन्टस दिनांक 13.06.2018 को ग्राम राजेन्द्रनगर, ग्राम पंचायत गजेसिंहनगर में उपस्थित नहीं थे ना ही मौके पर ग्राम पंचायत में गये, न ही हम रेस्पोडेंन्ट ने उक्त दिन हस्ताक्षर किये। अन्त में म्याद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर समर्पण आदेश फर्जी होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2018 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा बिना सूचना के पारित किया गया है। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से भी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया एवं ना ही कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश किया गया। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर म्याद शुमार करते हुए गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है

अपीलार्थी अधिवक्ता का अपनी बहस में मुख्य कथन यह है कि उक्त समर्पण पत्र के समय अपीलांट उपस्थित नहीं थे। समपर्णनामे पर खातेदारों के फर्जी हस्ताक्षर होने से उक्त समपर्णनामा कूटरचित है इस बाबत गायड़ सिंह, गणपत सिंह, राजेन्द्र सिंह, शक्ति सिंह, गोपाल सिंह एवं जसवन्त सिंह का नोटेरी शुदा स्व ह[illegible]पथ पत्र एवं अणच कंवर एवं अनोप सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है। अपीलाधी[illegible]र्पण आदेश को खारिज करने का आधार काश्तकारों के फर्जी हस्ताक्षर किया [illegible]या है। यदि उक्त दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:25 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

कूटरचित है उसे सिविल न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है एवं कूटरचित दस्तावेजों को केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही अपास्त किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय को धोखाधड़ी के आधार पर इस प्रकार के कूटरचित दस्तावेजों को रद्द करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। उपरोक्त विवचेन के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है । आदेश की प्रति मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:25 IST
Reason: SelfAttested